

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.)/सं.प.अ./ 39 /2025 दिनांक 03.02.2025

श्रीमती आराधना शर्मा (RJ01047), प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, कोटा को दिनांक 15.02.2025 से 07.03.2025 तक 21 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 08.03.2025 से 09.03.2025 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती शर्मा की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटा इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, कोटा के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से

 03/2/25


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/35/2016/1058

दिनांक 03.02.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा को उनके पत्रांक 19436 दिनांक 03.12.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती आराधना शर्मा (RJ01047), प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, कोटा।
4. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, कोटा।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटा।

 03/02/25  
सहायक रजिस्ट्रार